

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF JAL SHAKTI  
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

**RAJYA SABHA**

**STARRED QUESTION NO. \*11**

ANSWERED ON 03/02/2025

**GOAL TO ACHIEVE TAP WATER AND SANITATION IN RURAL INDIA BY 2025**

\*11. SHRI DHANANJAY BHIMRAO MAHADIK:

Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

- (a) the innovative strategies which are being adopted to ensure that tap water and sanitation targets are met;
- (b) whether there are any independent bodies involved in the evaluation of these efforts;
- (c) if so, the details thereof; and
- (d) the manner in which Government is monitoring the progress and effectiveness of these water and sanitation projects?

**ANSWER**

MINISTER OF JAL SHAKTI  
(SHRI C.R. PATIL)

(a) to (d) A statement of reply is laid on the Table of the House.

**Statement referred to in reply to part (a) to (d) of Rajya Sabha Starred Question No. \*11 answered on 03/02/2025**

(a) to (d) : Government of India is committed to make provision for safe & potable tap water supply in adequate quantity, of prescribed quality and on a regular & long-term basis to all rural households in the country. Towards this end, in August 2019, Government of India is implementing Jal Jeevan Mission (JJM) in partnership with States to make provision of tap water supply to every rural household.

At the time of launch of JJM, out of total 19.24 Crore rural households, 3.23 Crore rural households (16.71%) of the country had tap water connections. Since then, about 12.20 Crore (75.62%) families living in rural areas have been provided with tap water connections in their homes and as on 29.01.2025, about 15.43 Crore (79.69%) households are having tap water connections.

Similarly, Swachh Bharat Mission (Grameen) [SBM(G)] was launched on 2nd October, 2014 with the aim to eliminate open defecation in rural areas by 2nd October, 2019. Over 10 crore Individual household Latrines (IHHLs) constructed under Phase-I of SBM(G) and all the villages of the country declared themselves Open Defecation Free (ODF) by 2nd October, 2019. Having achieved the ODF status, SBM(G) Phase-II is being implemented during the period from 2020-21 to 2025-26 with the aim to sustain ODF status and Solid and Liquid Waste Management (SLWM).

Independent bodies such as World Health Organization (WHO), the International Labour Organization (ILO), Chicago University, Indian Institute of Management Bangalore have carried out study on health impact and employment generation potential.

The report released by the WHO estimates that provision of tap water supply to all households in the country shall lead to estimated daily savings of 6.60 crore hours of time, which the citizens would have had to spend in collection of water for meeting their households needs. It is also estimated that 75% of such savings shall be for women. The report indicated further that providing tap water to all households in the country, could prevent 4 lakh diarrheal deaths. This is equivalent to savings of 14 million Disability Adjusted Life Years (DALYs), translating to economic savings of up to US \$101 billion.

The study conducted by IIM and ILO on 'Assessment of Employment Potential of Jal Jeevan Mission', states that implementation of JJM has the potential to generate 59.93 lakh person-years of direct and 2.22 crore person- years of indirect employment through creation on the piped water supply infrastructure. It is also estimated that 11.18 lakh person-years of additional direct employment is likely to be created, annually, during the O&M stage.

As per the Operational Guidelines of 'Jal Jeevan Mission', it is the responsibility of National Jal Jeevan Mission (NJJM) to carry out regular functionality assessment, evaluation and impact assessment. For the purpose, NJJM selects a 3rd party agency through open tendering. In such assessment(s), State/ UTs are given a functionality score on the basis of functionality of samples on quantity, quality and regularity of water supply to rural households. Since announcement of the mission in August, 2019, two functionality assessment survey has been conducted in 2020-21 and 2021-22.

Similarly, this Department conducts also Swachh Survekshan Grameen (SSG) through a third-party survey agency to carry out the assessment of household sanitation parameters, including Faecal Sludge Management (FSM), biodegradable and non-biodegradable waste management, and Grey Water Management (GWM). As part of the SSG, States/UTs are ranked on the basis of their performance attained on key quantitative and qualitative Swachhata parameters.

Swachh Survekshan Grameen (SSG)-2023-24 was conducted by the DDWS, through a third-party survey agency. The Survey covered 17,304 villages in 729 Districts across India and 85,901 public places namely schools, anganwadis, public health centres, haat/bazaars/religious places etc. in these 17,304 villages. Around 2,60,059 Households were interviewed for their feedback on SBM(G) related issues.

In addition to this, Operational Guidelines of SBM(G) Phase-II prescribe that the States/UTs may conduct periodical evaluation studies and these evaluations could be used for course correction and improving the efficiency and effectiveness of the programme.

Further, to bring transparency and effective monitoring, an online 'dashboard' has been created for JJM and SBM-G, which provides State/ UT, district and village-wise progress as well as status of provision of tap water supply to rural homes and sanitation assets. The dashboard can be accessed at:

<https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx> and  
<https://sbm.gov.in/sbmgdashboard/statesdashboard.aspx>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न सं. \*11  
दिनांक 03.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वर्ष 2025 तक ग्रामीण भारत में नल-जल और स्वच्छता प्राप्त करने का लक्ष्य

\*11 श्री धनंजय भीमराव महादिक:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नल-जल और स्वच्छता संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन सी नवीन कार्यनीतियां अपनायी जा रही हैं;
- (ख) क्या इन प्रयासों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में कोई स्वतंत्र निकाय शामिल हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार जल और स्वच्छता संबंधी इन परियोजनाओं की प्रगति और प्रभावकारिता की निगरानी किस प्रकार कर रही है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री सी आर पाटिल)

(क) से (घ) उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 03/02/2025 को उत्तर हेतु नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*11 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में सदरिभित विवरण

(क) से (घ) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता के साथ नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, अगस्त 2019 में, भारत सरकार

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है।

जेजेएम के शुभारंभ के समय, देश के कुल 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों (16.71%) के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 12.20 करोड़ (75.62%) परिवारों को उनके घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और 29.01.2025 तक, लगभग 15.43 करोड़ (79.69%) परिवारों के पास नल जल कनेक्शन हैं।

इसी तरह, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] 2 अक्टूबर, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को खत्म करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था। एसबीएम (जी) के पहले चरण के तहत 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया और देश के सभी गांवों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया। ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने के बाद, एसबीएम (जी) चरण-II को 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), शिकागो विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर जैसे स्वतंत्र निकायों ने स्वास्थ्य प्रभाव और रोजगार सृजन संभावना के अध्ययन किए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश के सभी परिवारों को नल जल आपूर्ति के प्रावधान से 6.60 करोड़ घंटे के समय की अनुमानित दैनिक बचत होगी। नागरिकों को इस समय को अन्यथा अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी के संग्रह में खर्च करना पड़ता। यह भी अनुमान लगाया गया है कि समय की ऐसी बचतों का 75% महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा। रिपोर्ट में आगे इंगित किया गया है कि देश के सभी परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने से डायरिया से होने वाली 4 लाख मौतों को टाला जा सकता है। यह 14 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स (डीएएलवाई) की बचत के बराबर है, जो यूएस \$101 बिलियन तक की आर्थिक बचत में तब्दील हो जाता है।

जल जीवन मिशन की रोजगार संभावना मूल्यांकन पर आईआईएम और आईएलओ द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि जेजेएम के कार्यान्वयन से पाइपगत जलापूर्ति अवसंरचना के सृजन के माध्यम से 59.93 लाख व्यक्ति-वर्ष प्रत्यक्ष और 2.22 करोड़

व्यक्ति-वर्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की संभावना है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि संचालन एवं अनुरक्षण के दौरान वार्षिक रूप से और 11.18 लाख व्यक्ति-वर्ष प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए जाने की संभावना है।

'जल जीवन मिशन' के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, नियमित कार्यशीलता मूल्यांकन, आकलन और प्रभाव मूल्यांकन करना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) की जिम्मेदारी है। इस प्रयोजन के लिए, एनजेजेएम खुली निविदा के माध्यम से तीसरे पक्ष की एजेंसी का चयन करता है। ऐसे मूल्यांकन (मूल्यांकनों) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण परिवारों को जलापूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता के संबंध में नमूनों की कार्यशीलता के आधार पर कार्यशीलता अंक दिए जाते हैं। अगस्त, 2019 में मिशन की घोषणा के बाद से, 2020-21 और 2021-22 में दो कार्यशीलता मूल्यांकन सर्वेक्षण किए गए हैं।

इसी प्रकार, यह विभाग मलीय कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम), बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, और ग्रे-वाटर प्रबंधन (जीडब्ल्यूएम) सहित घरेलू स्वच्छता मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए तीसरे पक्ष की सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) भी आयोजित करता है। एसएसजी के भाग के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रमुख मात्रात्मक और गुणात्मक स्वच्छता मापदंडों के संबंध में किए गए उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर रैंक किया जाता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी)-2023-24 का संचालन डीडीडब्ल्यूएस द्वारा एक तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से किया गया था। सर्वेक्षण में भारत भर के 729 जिलों के 17,304 गांवों और इन 17,304 गांवों में 85,901 सार्वजनिक स्थानों जैसे कि विद्यालयों, आंगनवाडियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट/बाजार/धार्मिक स्थलों आदि को शामिल किया गया। एसबीएम (जी) से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया के लिए लगभग 2,60,059 परिवारों का साक्षात्कार लिया गया।

इसके अलावा, एसबीएम (जी) चरण-II के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवधिक मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं और इन मूल्यांकनों का उपयोग कार्रवाई सुधार तथा कार्यक्रम की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता लाने और प्रभावी निगरानी के लिए, जेजेएम तथा एसबीएम-जी के लिए एक ऑनलाइन 'डैशबोर्ड' बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों तथा स्वच्छता परिसंपत्तियों हेतु नल जल आपूर्ति के

प्रावधान की स्थिति प्रदान करता है। इस डैशबोर्ड पर निम्न लिंक के जरिए पहुँचा जा सकता है:

<https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx>और

<https://sbm.gov.in/sbmgdashboard/statesdashboard.aspx>

\*\*\*\*\*

SHRI C.R. PATIL: Sir, I lay a statement on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.